

**बिहार सरकार**  
**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग**  
 सं०स०-01/आ० वि० (विविध)-02-18/2009- 80  
 ओदश 11.01.18

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्ष-2018 के लिए निम्न प्रकार अवकाश निर्धारित किया जाता है।

1. बिहार सरकार द्वारा घोषित अवकाश का अनुपालन किया जायगा।
2. होली/ग्रीष्मावकाश/दशहरा/दीपावली/छठ आदि में निम्न प्रकार अवकाश देय होगा:-

(क)	होली अवकाश	दिनांक-01.03.2018 से 05.03.2018 तक	05 (पाँच) दिन
(ख)	ग्रीष्मावकाश	दिनांक-11.06.2018 से 30.06.2018 तक	20 (बीस) दिन
(ग)	दशहरा/दीपावली/छठ	दिनांक-13.10.2018 से 17.11.2018 तक	35 (पैंतीस) दिन
		कुल-	60 (साठ) दिन

3. इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा/संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में घोषित अवकाश लागू होंगे।
4. उपरोक्त सभी अवकाश की अवधि में विद्यालय एवं छात्रावास पूर्णतः बन्द रहेगा।

*[Signature]*  
निदेशक  
10/1/18

ज्ञापांक:-01/आ० वि० (विविध)-02-18/2009- 80

पटना, दिनांक - 11.01.18

**प्रतिलिपि:-**सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Signature]*  
निदेशक  
10/1/18

ज्ञापांक:-01/आ० वि० (विविध)-02-18/2009- 80

पटना, दिनांक - 11.01.18

**प्रतिलिपि:-**आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
निदेशक  
10/1/18